न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 317–तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 443/2007–08/अपील.

———

1– बलराम सिंह पुत्र मंगल सिंह धाकड़
2– श्रीमती जमुना देवी पत्नी बलराम सिंह
निवासी ग्राम विनायक खेड़ी
तह. व जिला गुना म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– सीताराम ताटके पुत्र विश्वनाथ ताटके
2– सुभाष ताटके पुत्र राजाराम ताटके
3– अविनाश ताटके पुत्र राजाराम ताटके
निवासीगण ताटके का बाड़ा
सदर बाजार गुना ——— अनावेदकगण

———

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

( आज दिनांक 10.07.2014 को पारित )

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 443/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–6–09 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 115 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम विनायकखेडत्री के सर्वे नंबरों के रकबे एवं नक्शे में संवत 2007 को आधार मानते हुए संशोधन की मांग की गई । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसील न्यायालय द्वारा तथ्य आर

साक्ष्य के आधार पर दिनांक 28–2–07 द्वारा आवेदन अस्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपीलें क्रमशः एस.डी.ओ. एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4– अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक द्वारा संवत 2007 को आधार मानकर संहिता की धारा 115 के तहत त्रुटि को सुधारने की मांग की गई है । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया इस न्यायालय की पुष्टि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने की है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा न्यायदृष्टांत 1989 आर.एन. 4 (खंडपीठ) के निर्णय का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । जिसमें यह अवधारित किया गया है कि तहसीलदार किसी पक्षकार के आवेदन पर संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही नहीं कर सकता । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित है कि संहिता की धारा 116 के तहत किसी पक्षकार के आवेदन पर कार्यवाही एक वर्ष की अवधि के अंदर ही की जा सकती है और चूंकि आवेदकों ने संवत 2007 के आधार पर संशोधन की मांग वर्ष 2002 में की है जो एक वर्ष से काफी अधिक है और इस विलंब के संबंध में उनके पास कोई आधार नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश आख्यापक और विवेचनापूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर